पत्रांक– 26 / 15/3/13 /अ०नि०को०

निदेशालय
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

प्रेषक,

डा० के० के० सिंह
अपर निदेशक
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

विषय – चिकित्सा पदाधिकारियों के सेवा निवृति लाभ के त्वरित निष्पादन के सम्बन्ध में।

प्रसंग– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक– 37 / नि०प्र०, दिनांक– 12.03.2013

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक संदर्भ में सूचित करते हुए कहना है कि दिनांक– 09.03.2013 को समीक्षात्मक बैठक में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य द्वारा सेवा निवृत्ति लाभ का ससमय निष्पादन नहीं होने के कारण काफी क्षोभ व्यक्त किया है।

उक्त के आलोक में आप सभी को निदेश दिया जाता है कि आपके क्षेत्रांगत चिकित्सा पदाधिकारियों के सेवा निवृत्ति की अद्यतन स्थिति तथा सेवा निवृत्ति का लाभ किस कारण से नहीं दिया गया है और किस स्तर पर लम्बित है।

पूर्ण विवरणी के साथ पन्द्रह दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
15/3/2013
(डा० के० के० सिंह)
अपर निदेशक
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 28 /अ०नि०को० स्वा० पटना, दिनांक– 15/3/13

प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वा० सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि सम्बन्धित विषय पर आप अपने स्तर से भी आपके क्षेत्रांगत सभी सिविल सर्जन एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश देने की कृपा की जाय। साथ ही साथ अपने स्तर से भी अद्योहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय।

प्रतिलिपि– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रशाखा पदाधिकारी 2 एवं 3 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को उनके पत्रांक– 37 दिनांक–12.03.2013 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव स्वास्थ्य, विभाग, बिहार,, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/2013
अपर निदेशक

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।